न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1118 दिनांक –31/03/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अचलाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी काऊ को खेड़ा, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 मुकेश गोदपुत्र खेताराम 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र भींयाराम 3 खेताराम 4 सांगाराम पिसरान अणदाराम 5 अन्तरी पत्नी अणदाराम जाति सुथार 6 मगाराम 7 गुणेशाराम 8 पूनमाराम पिसरान पीराराम 9 केहराराम 10 भीखाराम 11 सोनाराम पिसरान रामाराम 12 पोकरराम पुत्र सुखराम 13 चेतनराम 14 विरधाराम पिसरान पेमाराम 15 पोरू पत्नी पेमाराम 16 भंवराराम 17 पाबुराम पिसरान अलसाराम 18 राजो पत्नी अलसाराम जाति जाट निवासी काऊ को खेड़ा कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 80/2023 दिनांक– 31/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 604/342 रकबा 11.9787 हैक्टेयर व खसरा संख्या 839/342 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल रकबा 12.0030 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक– 31/03/23

क्रमांक :– रीडर/2023/1119-1122

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अचलाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी काऊ को खेड़ा, कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी मुकेश गोदपुत्र खेताराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ को खेड़ा कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर